राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नारायणी देवी बनाम रमेश निठारवाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। दौराने बहस दोनों पक्षों द्वारा सहमति जाहिर कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री में सहमति पत्र दिनांक 14/08/2025 के अनुसार संशोधित किये जाने का निवेदन करते हुये इस आशय का संशोधन किये जाने का कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2403 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4046 हैक्टेयर में से 0.1897 हैक्टेयर उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की और आराजी खसरा नम्बर 252 के लगवा नारायण, बजरंग पुत्रान घासी जाति जात निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर खातेदारी रहेगी, जो सहमति पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4046 में से 0.2149 हैक्टेयर उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा की और द्वारिका पत्नी चंदूराम व नारायणी देवी पत्नी रूपनारायण जाति जाट निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर राजस्थान खातेदारी रहेगी, जो सहमति पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में हरा रंग से दर्शाया गया है। चूँकि दौराने बहस उभयपक्षों द्वारा सहमति जाहिर की गयी। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/12/2025 को इस आशय का संशोधित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2403 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4046 हैक्टेयर में से 0.1897 हैक्टेयर उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की और आराजी खसरा नम्बर 252 के लगवा नारायण, बजरंग पुत्रान घासी जाति जात निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर खातेदारी रहेगी, जो सहमति पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4046 में से 0.2149 हैक्टेयर उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा की और द्वारिका पत्नी चंदूराम व नारायणी देवी पत्नी रूपनारायण जाति जाट निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर राजस्थान खातेदारी रहेगी, जो सहमति पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में हरा रंग से दर्शाया गया है। तदनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री संशोधित की जाकर कुर्रेजात तलब कर वाद का शीघ्रता से विधिसम्मत निस्तारण करे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस निर्णय की अनुपालना में कुर्रेजात तलब कर दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद का निस्तारण करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	